Cr. Misc. no. 108/2020

04.06.2020

आवेदक/अभियुक्त रिन्कू की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. संख्या 16/2020 रिन्कू प्रति राज्य सरकार अ0सं0 254/2019 अंतर्गत धारा 147,323,504,506 व 308 भा.दं.सं. थाना पिलुआ, जिला एटा में पारित आदेश दिनांकित 14.02.2020 के संदर्भ में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर दिनांक 14.02.2020 को आदेश जमानत आदेश की तरह कर दिया गया है। उक्त जमानत आदेश तक शब्द 'जमानत' के पूर्व शब्द 'अग्रिम' सहवन टंकण की त्रुटिवश रह गया है। अतः अग्रिम जमानत आदेश में शब्द 'जमानत' से पूर्व 'अग्रिम' शब्द बढ़ाये जाने की याचना की गयी है।

सुना। एवं अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांकित 14.02.2020 का अवलोकन किया।

उपर्युक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त आदेश दि0 14.02.2020 में शब्द 'जमानत' के पूर्व शब्द 'अग्रिम' सहवन टंकण की त्रुटिवश रह गया है, जिसका उक्त अग्रिम जमानत आदेश में बढ़ाया जाना न्यायहित में उचित है।

न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दि0 14.02.2020 में जहॉ–2 शब्द 'जमानत' आया है उससे पूर्व शब्द 'अग्रिम' बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.ऐक्ट),
एटा
04.06.2020